

दो रुपये
TWO RUPEES

50 पैसे 50 PAISE

पाँच रुपये
FIVE RUPEE

श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल म.प्र. गवालियर (म.प्र.) है, हो
यह
प्रा-

RN/7-2/R/1201/94

श्रीमती लक्ष्मीबाई पति रामेश्वर मर्यादा
निवासी 19। 2, मुराई माहला, इंदौर

मधुबाई पति राजेन्द्र कर्मा
निवासी 24, पिपल्याराव, इंदौर

प्राथीर्णिण

1) श्रीटेलाल पिता कन्हैयालाल हार्डिया
लक्ष्मीनारायण पिता कन्हैयालाल हार्डिया
दोनों हां निवासी- 173, तार बावडी
इंदौर

प्रतिप्राथीर्णि

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.दू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत

श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, इंदौर संभाग इंदौर के न्याया, नियमों के प्रकरण क्र. नि. 146। 93-94 में पारित आदेश दिनांक 30-9-94 तक से असन्तुष्ट होकर यह निगरानी प्राथीर्णिण निम्न आधारों पर प्रस्तुत कर रहे हैं :-

निगरानी के आधार

- 1) यह कि, यदि आवेदन पत्र गलत रूप में गलत धारा का उल्लेख किया भी गया हो तो भी न्यायालय को आवेदन में किये गये कथन के आधार पर निर्णय करने का मुण्ड अधिकार प्राप्त होने के कारण श्रीमान नायब तहसिलदार का तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश पुण्ड रूप से वैध होकर उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिका श्रीमान अपर आयुक्त महोदय की नहीं था, इसके विपरीत प्रार्थी के किन्हीं निर्णय पारित करने में अधिनस्त न्यायालय ने गंभीर वैधानिक मूल की है।

15/9/2015

१८८
उवेदक अभिभावक पूर्व प्रश्न से स्पन्दन

उपरान्त अनुपस्थिति । आज भी उपस्थिति न हो।

उवेदक अभिभावक की अनुपस्थिति में
प्रकरण कादम्ब पर्वती में खारिज किया
गया है।

अधिकारी
उपस्थिति

शाक्षेपुरा—714—असरामप्रगता—29-2-2012—15,000.